वह रपट, जिसने २०.५० विधान सभा अध्यक्ष को त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य कर दिया.

न आचार, न विचार चौदह करोड़ का भ्रष्टाचार

भारतीय धर्मग्रंथों की यह कहानी सर्वविदित है कि वामन अवतार में राजा बलि से केवल साढ़े तीन पग जमीन का दान मांगा था और संकल्प होने के बाद उन्होंने जमीन, आकाश और पाताल सबको तीन पग में ही नाप लिया था. शायद कलियुग में ऐसे अवतार तो नहीं होते लेकिन ऐसे 'महापुरुष' अवश्य होते हैं जो एक एक कदम में पूरे शहर के शहर नाप लेते हैं. मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में इन दिनों एक ऐसा ही चतुर व्यक्तियों का गुट सक्रिय है जो एक एक करके हर मोहल्ले और चौराहे की खाली जमीन निगलता जा रहा है. आश्चर्य की बात यह है कि इस गुट के मुखिया राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा के अनुज हैं. सत्ता की छत्रछाया उनपर है, प्रशासन की लगाम वे भोपाल से खिंचवाते हैं और अपने किराये के भाड़ों से एक के बाद एक कानूनी दांवपेंच में फंसे हुए मकान खरीदकर बेच देते हैं. दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के कार्यालय में विचाराधीन एक फाइल में इस गुट द्वारा कमायी गयी 14 करोड़ रुपये की धनराशि का ब्योरा एकत्र है. सी.बी.आई. के एक वरिष्ठ अधिकारी कुछ समय पहले इंदौर गये थे और उन्होंने विभिन्न मामलों को गहराई से जांचा तथा परखा है. यही नहीं अपने साथ वे कई प्रमाण भी लेकर आये. प्रशासन के कई अधिकारियों ने उन्हें गोपनीय ढंग से कई प्रमाण भी उपलब्ध कराये हैं.

मकान और जमीन हड़पने का यह सिलसिला नया नहीं है. इसके पीछे करीब 15 वर्षों से चल रहा चतुर दिमाग है. इस भ्रष्टाचार कांड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्री यज्ञदत्त शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले स्वयं अपने परिवार के इस तरह के धंधे से जुड़े रहने में रुचि दिखायी है और अब सी.बी.आई. वालों को यह देखना है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी उन्होंने अपने परिजनों की सहायता देने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया था नहीं? यों मध्यप्रदेश विधानसभा में सत्तारूढ़ दल इंका के ही कई विधायकों ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक तीस पृष्ठीय ज्ञापन देकर यह आरोप लगाया था कि श्री शर्मा और उनका परिवार इंदौर शहर में निरंतर अवैधानिक काम

आलोक मेहता

सपन्न रेसीडेंसी क्षेत्र का बंगला नं. 6, जो अनधिकृत कब्जे की जीती जागती कहानी बन गया है.

इंदौर में राजनीति से जुड़े एक परिवार की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है. इसका पूरा लेखा जोखा दस्तावेजों के साथ यहां प्रस्तुत है.

कर रहा है और इसने बिना हिसाब वाला करोड़ों रुपया बना लिया है. यही नहीं इनके साथ कई असामाजिक व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं और यह पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए घातक है.

इंदौर पहुंचने पर हमने सबसे पहले इस भ्रष्टाचार कांड के पहले पटनासम्पार रैलीज हाउस को देखना आवश्यक समझा. यह बंगला इंदौर के सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र रेसीडेंसी में बना हुआ है. बंगले से कुछ ही दूरी पर जा रहे एक श्रमिक काशीनाथ से हमने पूछा कि यह सामने वाला बंगला किसका है? तो उसका उत्तर था—'साहब यह बंगला सोनकर साहब का है. वह हमारे यहीं के हैं. आपने उनका नाम सुना होगा, यज्ञदत्त शर्मा जी.' तब हमने उसका ध्यान इस बात पर दिलाया कि बंगले पर नाम तो श्री अमिदत्त शर्मा का लिखा हुआ है. काशीनाथ हंसने लगा, बोला 'अरे वह भी तो इनके भाई हैं. नाम किसी का भी हो इससे क्या फर्क पड़ता है—15 साल से तो यह सब यही एक साथ रहते आये हैं.'

इस विवादास्पद बंगले का इतिहास जानने के लिए हमने नगर निगम का रुख किया. सबसे पहले हमने नगर निगम प्रशासक श्री एन.बी. पटवर्धन को टटोलना चाहा. प्रारंभ में श्री पटवर्धन ने तो इस सारे मामले पर अपनी अनभिज्ञता ही प्रकट की लेकिन घुमा फिराकर यही सवाल लाये जाने पर उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस बंगले को लेकर एक मामला शायद अदालत में चल रहा है और यह मामला अवैधानिक कब्जे के संबंध में है. हमारे आग्रह पर प्रशासक महोदय ने इंजीनियरिंग विभाग से भी टेलीफोन पर पूछताछ की लेकिन उधर से दिये गये संक्षिप्त उत्तर के बाद उन्होंने संक्षिप्त में हमें इतना ही कहा कि वे 'लोग भी सुनी सुनायी बात बता रहे हैं, इसलिए अभी हम अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकते.'

बहरहाल, हमने उन सुनी सुनायी बात कहने वाले लोगों से ही संपर्क किया और जो तथ्य उभरकर सामने आये वे सचमुच चौंकाने वाले हैं. बताया जाता है कि रेसीडेंसी क्षेत्र का यह बंगला रैलीज इंडिया कंपनी के पास ब्रिटिश शासन काल से ही लीज पर था. स्वतंत्रता के बाद 1957 में इस लीज को नगर निगम ने दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया. लेकिन दस वर्ष बाद रैलीज इंडिया ने नगर निगम